शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जगदीश प्रधान

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 86

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में लम्बित विकास कार्यों के लिए कितना बजट आवंटित किया है;	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** अनाधिकृत कॉलोनी के विकास के लिए रूपये 800 करोड़ का बजट शहरी विकास विभाग को योजना व वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया गया है। सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों हेतु वित्त वर्ष 2018–19 के विकास कार्य हेतु 795 करोड़ का बजट रखा गया है । जिसमें 250 करोड़ आई. एण्ड एफ सी को दिया गया है और 100 करोड़ की धनराशि डी.एस.आई.आई.डी.सी. को जारी करने के लिए फाईल प्रस्तुत कर दी गई है ।
ख	इन कार्यों के अंतर्गत कौन–कौन से काम किये जाने हैं;	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** इन कार्यों के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों जैसे सड़क निर्माण और नालियॉ, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज पाईप लाईन बिछायी जाती है।
ग	ये कार्य कितनी कॉलोनियों में किये जाने हैं;	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** अनाधिकृत कॉलोनी के आदेश दिनांक 29/12/2015 के अनुसार जिन कॉलोनियों में वन आपत्ति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपत्ति नहीं है।उन सभी कॉलोनियों में यह कार्य होने हैं।
घ	क्या शहरी विकास विभाग द्वारा एमएलए फंड के अंतर्गत लम्बित कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है;	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** जी नहीं।
ड़	ये विकास कार्य किन–किन एजेंसियों द्वारा किये जायेंगे; और	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** ये विकास कार्य डीएसआईआईडीसी, आई एंड एफसी, एस.डी.एम.सी और डी.जे.बी द्वारा किए जाऐंगें।
च	किस–किस एजेंसी को कौन–कौन सा विकास कार्य सौंपा गया है?	**दिल्ली शहरी विकास विभाग** डीएसआईआईडीसी और आई एंड एफसी सड़क निर्माण और नालियों का निर्माण करती हैं। दिल्ली जल बोर्ड पाईप लाईन डालना और सीवर का कार्य करती है और स्ट्रीट लाईट लगाने का काम बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा डीएसआईआईडीसी के माध्यम से किया जाता है।